केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान/Under Ministry of Education, Govt. of India
क्षेत्रीय कार्यालय / BHOPAL REGION
E-Mail : admn-bhopal@kvs.gov.in

Phone : 2550728 (DC)
2551678 (AC/FO)
2551699 (AC/AO)
Fax : 0755-2553126
मैदा मिल के सामने,
भोपाल (म0प्र0)
Opp. Maida Mills,
Bhopal – 462 011.

फा. 14050/2022/केविसं/भोपाल/20728 दिनांक : 27/07/2022

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में गठित विभागीय संवीक्षा(पदोन्नति) समिति(DSC) की बैठक दिनांक 20/07/2022 को अपराह्न 03.00 बजे सम्पन्न हुई । उक्त बैठक में की गई अनुशंसा एवं अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित अशैक्षणिक कर्मचारियों को, उनके संबंधित वर्ग में उन्हें उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (MACPS) के तहत कॉलम संख्या 08 में दर्शाये गये पे-मैट्रिक्स लेवल में वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

Sl. No.	Name of Employee Sh/Smt/Ku/Ms	Name of KV	Date from which the present post on regular basis is held	Date of initial appointment on regular basis and designation	Date of eligibility for MACP	No. of MACP Ist /IInd / IIIrd	Level in the Pay Matrix
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक अनुभाग अधिकारी (ASSISTANT SECTION OFFICER)							
1	ANUPAM SINGH YADAV	NO.3 GWALIOR	23.08.2002 ASO	02.01.1995 SSA(DR) 14.02.1989 JSA(DR)	23.08.2022	III	LEVEL-8
कुल-01(एक) प्रकरण							
वरिष्ठ सचिवालय सहायक(SENIOR SECRETRIAT ASSISTANT)							
1	MAHENDRA KUMAR NIGAM	NO.2 BHOPAL	27.12.2012 SSA	08.09.1992 JSA	08.09.2022	III	LEVEL-6
कुल-01(एक) प्रकरण							
सब स्टाफ(SUB STAFF)							
1	PRAMILA KHARE	MHOW	21.07.1992 SUB STAFF	21.07.1992 SUB STAFF	21.07.2022	IIIrd	LEVEL-4
2	TEJRAM	MHOW	22.07.1992 SUB STAFF	22.07.1992 SUB STAFF	22.07.2022	IIIrd	LEVEL-4
3	DEEPAK KUMAR DURJAN	BINA	24.07.1992 SUB STAFF	24.07.1992 SUB STAFF	24.07.2022	IIIrd	LEVEL-4
4	RAMGOPAL PALIWAL	UJJAIN	10.09.1992 SUB STAFF	10.09.1992 SUB STAFF	10.09.2022	IIIrd	LEVEL-4
5	DEVILAL CHOUHAN	RATLAM	05.10.1992 SUB STAFF	05.10.1992 SUB STAFF	05.10.2022	IIIrd	LEVEL-4
कुल-05(पांच) प्रकरण							

जारी...2

उपायुक्त
Deputy Commissioner
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
क्षेत्रीय कार्यालय,भोपाल
Regional Office, Bhopal

समिति द्वारा नीचे दर्शाए गए निम्नलिखित प्रस्तावों पर भी विचार किया गया किन्तु विद्यालयों से प्राप्त जानकारी एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उनके सम्मुख दर्शाए गए कारणों से वर्तमान में आगामी वित्तीय उन्नयन/संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (MACPS) **की अनुशंसा नहीं की है-**

क्र. S. No.	शिक्षक का नाम Name of the Teacher	के0वि0 का नाम Name of KV	Date from which the present post is hold on regular basis	कारण / Reason
1	2	3	4	5
1	Sh KAMAL KUMAR GOHAR	BETUL	26.04.2013 - SSA **30.09.1992 - LDC (REGULAR)** 13.01.1992 - LDC (ADHOC)	अनुशासनिक प्रकिया एवं मुख्यालय से मार्गदर्शन
2	Sh RAMESH KUMAR MEENA	SPM HOSHANGABAD	24.10.1992 SUB STAFF	**ए०पी०ए०आर में निर्धारित बैंच न होने के कारण**

(सोमित श्रीवास्तव)
29/7/22 उपायुक्त

<u>प्रतिलिपि</u> :-

1. **संबंधित कर्मचारी।** कृपया इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर अपना वेतन निर्धारण विकल्प पत्र प्रस्तुत करें । एक बार प्रस्तुत किया गया वेतन निर्धारण विकल्प पत्र अंतिम होगा ।

2. **प्राचार्य, संबंधित केन्द्रीय विद्यालय** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। कृपया इस आदेश की पर्याप्त मात्रा में छायाप्रति करके अपने विद्यालय के संबंधित कर्मचारी को उचित पावती के साथ सौंप दें। संबंधित की व्यक्तिगत पुस्तिका में इस आदेश की एक प्रति नस्ती करते हुए एक प्रति सेवा पुस्तिका में चस्पा कर आवश्यक प्रविष्टि कर दें। संबंधित कर्मचारी के वेतन का निर्धारण वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा किया जायेगा।

अतः वेतन निर्धारण के लिये संबंधित की सेवा पुस्तिका इस कार्यालय को भेजते समय संबंधित से वेतन निर्धारण विकल्प पत्र लेकर मूल प्रति में सेवा पुस्तिका में आदेश की छायाप्रति के साथ चस्पा कर प्रेषित करें। <u>**इस कार्यालय द्वारा विद्यालय से प्राप्त जानकारी/सूचना के आधार पर ही संबंधित कर्मचारियों को संशोधित आश्वस्त वृत्ति योजना (एमएसीपीएस) के तहत वित्तीय प्रोन्नति/उन्नयन स्वीकृत किया है। अतः उपर्युक्त आदेश से आपके द्वारा भेजी गई जानकारी/सूचना का मिलान कर लें एवं यदि उसमें कोई अंतर पाया जाता है तो तुरन्त इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। संबंधित कर्मचारी से इस आशय का एक घोषणा पत्र भी प्राप्त कर लिया जाये कि संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना के तहत वित्तीय प्रोन्नति स्वीकृत करने में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश को वापस ले लिया जायेगा।**</u> यदि संबंधित कर्मचारी का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया हो तो इस आदेश को या इसकी प्रमाणित प्रति उस केन्द्रीय विद्यालय में जहाँ पर वह कार्यरत है को तुरन्त प्रेषित करें।

3. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली ।
4. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय ।
5. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
6. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित ।
7. अध्यक्ष/सचिव, के0वि0सं0 शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक स्टाफ एसोसिएशन, भोपाल संभाग ।

29/7
उपायुक्त
के0वि0सं0, क्षे0का0, भोपाल

....